

फुटपाथ बाजारों का धार जिले के अनुसूचित जनजाति समुदाय की आजीविका पर प्रभाव का अध्ययन

मनीषा सक्सेना

पीठ आचार्य, डॉ. अम्बेडकर पीठ, ब्राउस

एवं

मनोज कुमार गुप्ता

सहायक आचार्य, डॉ. अम्बेडकर पीठ, ब्राउस

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में साप्ताहिक हाट-बाजार, फुटपाथ बाजार, फेरी (घूम-घूम कर) व्यापार करने वाले छोटे और अस्थाई बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. यह एक रूप से असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं. इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आता है, जिनके लिए यह क्षेत्र जीवन-निर्वाह का प्रमुख माध्यम है। असंगठित क्षेत्र में विशेष रूप से फुटपाथ बाजार एक ऐसा उपक्रम है जो न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराता है, बल्कि गरीब, बेरोजगार, प्रवासी, महिलाओं एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश का धार जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है. धार जिला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनजातीय बाहुल्य वाला जिला है. 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 55.94% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। मुख्य रूप से भील और भीलाला जनजातियाँ निवासरत हैं. फुटपाथ बाजारों की दृष्टि से पीथमपुर, मांडू दो प्रमुख बाजार धार जिले में हैं. यह अध्ययन धार जिले के फुटपाथ बाजार से जुड़े अनुसूचित जनजाति समुदाय के विक्रेताओं पर केन्द्रित हैं जिनकी आजीविकोपार्जन में फुटपाथ बाजारों की भूमिका है.

बीज शब्द: आजीविका, फुटपाथ, बाजार, अनुसूचित जनजाति, धार

प्रस्तावना

ग्रामीण और कस्बाई अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने में वहाँ के स्थानीय 'हाट-बाजारों' और फुटपाथ की दुकानों की बढ़ी भूमिका होती है. यह दुकाने प्रायः स्थानीय अथवा सुदूर गाँवों से आने वाले लोगों द्वारा अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए लगायी जाती हैं. मध्य प्रदेश का धार जिला अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक

रूप से अत्यंत समृद्ध है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्यता वाला इस जिले की मुख्य आजीविका कृषि, उद्योग और पर्यटन सहित प्रमुख फुटपाथ बाजारों पर निर्भर है।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो जनजातीय समुदाय 'आत्मनिर्भर' रहा है। सीमित आवश्यकताओं और वनों तथा छोटी कृषि जोत से अपनी जरूरतों की पूर्ति करने वाला समाज मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विस्तार के क्रम में बाजार की जरूरतें महसूस करने लगा। इन्हें अपनी उपज एवं निर्मित वस्तुओं को बेचने तथा आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए एक मंच की आवश्यकता पड़ी। जिसके लिए फुटपाथ और साप्ताहिक बाजार बुनियादी बाजार के रूप में सामने आये। मौजूदा समय में फुटपाथ बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए नीतियाँ भी बनाई गयी हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार, फुटपाथ विक्रेताओं का योगदान छोटे शहरों और कस्बों की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बाजारों में कार्यरत विक्रेताओं की कोई निश्चित आय नहीं होती और वे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करते हैं, जैसे कानूनी मान्यता की कमी, प्रशासनिक हस्तक्षेप और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता। हालांकि, इनकी उपस्थिति छोटे व्यवसायों और स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखती है। धार जिले के फुटपाथ बाजारों में काम करने वाले विक्रेता मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ये बाजार छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं को जीविका के अवसर प्रदान करते हैं। फुटपाथ विक्रेताओं को अवसरों के साथ साथ कई बार चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार ने फुटपाथ बाजारों और छोटे दूकानदारों को लेकर नीतिगत निर्णय की ओर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। भारत में फुटपाथ बाजारों (स्ट्रीट वेंडिंग) को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की गयी है। इसके जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव और चुनौतियाँ हैं यह अध्ययन का विषय है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित फुटपाथ बाजार विशेष रूप से पीथमपुर, धार, मांडू, कृषि आधारित कुक्षी, मनावर जैसे औद्योगिक, पर्यटक एवं कृषि क्षेत्रों में, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है।

इस शोध पत्र के माध्यम से धार जिले के फुटपाथ बाजारों से जुड़े अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए उनकी आजीविका पर इसके प्रभाव का अध्ययन है।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र लेखन में मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया है। गुणात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रकार के तथ्य संकलन की पद्धति अपनायी गयी है। तथ्यों का विश्लेषण करने के क्रम में समूह परिचर्चा और साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। तथ्य संकलन के दौरान उत्तरदाताओं के रूप में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है।

धार जिले की सामाजिक जनांकिकी

धार जिला मध्य प्रदेश एक प्रमुख जनजातीय बाहुल्य जिला है। यहाँ की सामाजिक-आर्थिक जनांकिकी मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जाति समुदायों से मिलकर बनती है। अर्थिकीय संरचना में खेती, पर्यटन, उद्योग धंधे शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की 55.94% आबादी अनुसूचित जनजाति (मुख्यतः भील और भिलाला) की है। 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। औसत लिंगानुपात 964 है और साक्षरता दर 59% है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। स्थानीय भीली और मलावी भाषा-बोली में है। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक विविधतापूर्ण जिले के रूप में बनती है।

धार जिले की अर्थव्यवस्था में फुटपाथ बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई समाज की आजीविका जुड़ी है। जिले की 81% ग्रामीण आबादी के लिए ये बाजार कृषि उत्पादों, स्थानीय हस्तशिल्प और बाघ प्रिंट जैसे उद्योगों-धंधों के सीधे खरीद और विक्रय का माध्यम बनता है। यह एक तरह से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देता है। वर्तमान में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिये मिल रहे वित्तीय सहयोग से इन छोटे-मझोले व्यापारियों को वित्तीय स्थिरता मिली है। धार के सम्बन्ध में सरल भाषा में कहें तो पीथमपुर जैसे बाजार बड़े उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन्हीं के सामानांतर फुटपाथ बाजारों की स्थानीय रोज-मर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमें सुदूर क्षेत्रों के अनुसूचित जाती वर्ग के अतिरिक्त दुसरे जिलों के प्रवासी लोगों की भी उपस्थिति है। फुटपाथ बाजार स्थानीय स्तर पर किफायती वस्तुओं की आपूर्ति और जमीनी स्तर पर स्वरोजगार सुनिश्चित कर आर्थिक गतिशीलता जीवंत बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के पथ विक्रेताओं के लों के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लोन के कुल आवेदनों में 75 प्रतिशत तक को लोन प्रदाय किया गया है। हालाँकि कुछ जिलों की स्थिति ठीक नहीं है। धार जिला माध्यम स्थिति में है जिसका एक प्रमुख कारण बहुसंख्य अनुसूचित जनजाति आबादी और शिक्षा और जागरूकता का निम्न स्तर है। 2021 की राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक फुटपाथ विक्रेता सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 70% विक्रेता निम्न-आय और पिछड़े वर्गों से आते हैं। प्रमुख शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, और धार में इनकी संख्या सर्वाधिक है।

फुटपाथ बाजार सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आजीविका

भारत की आर्थिक गतिविधि में सामाजिक ताने-बाने का मजबूत आधार के समान कार्य करता है। जिसका सबसे जीवंत और दृश्यमान उदाहरण 'फुटपाथ विक्रेता और बाजार हैं'। क्रेता विक्रेता संबंधों में भी यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। शहरी आर्थिक तंत्र में फुटपाथ विक्रेता न केवल वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से कमजोर और माध्यम वर्ग के लिए वहनीय जीवन स्तर

सुनिश्चित करने का कार्य भी करते हैं. धार जैसे प्रमुखतः ग्रामीण आबादी वाले जिले में पीथमपुर जैसे औद्योगिक इकाई वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों और कस्बाई क्षेत्रों में अधिकांश पथ विक्रेता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से अपने उत्पाद या फिर कम पूंजी में मिलने वाले उत्पादों, वस्तुओं को रेहड़ी, फूटपाथ पर विक्रय कर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं।

सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो फुटपाथ विक्रेताओं का समूह विविधता से भरा हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी, महिलाएं, और समाज के वे वंचित वर्ग शामिल हैं जिनके पास औपचारिक रोजगार के अवसर सीमित हैं। उनकी सामाजिक स्थिति उनके शिक्षा स्तर, जातिगत पृष्ठभूमि, पारिवारिक संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच से परिभाषित होती है। आर्थिक रूप से, ये विक्रेता एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और अस्थिर वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ उनकी दैनिक आय न केवल बाजार की मांग पर निर्भर करती है, बल्कि मौसम के उतार-चढ़ाव, स्थानीय प्रशासन की नीतियों और अनिश्चित कार्यस्थलों से भी प्रभावित होती है।

फुटपाथ बाजारों में विक्रेताओं तथा वस्तुओं की श्रेणी का वर्गीकरण भौगोलिक, सामाजिक, जेंडर, उम्र तथा अनुभव के आधार पर अलग-अलग होता है. साथ ही यह क्रेता आवश्यकताओं स्थानीय जरूरतों के आधार पर भी वर्गीकृत होता है। धार जिले में अध्ययन के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण सन्दर्भ और वर्गीकरण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जो कुछ इस प्रकार हैं।

श्रेणी	प्रमुख उत्पाद	स्थान
खाद्य सामग्री	सब्जियाँ, फल, चाट, नमकीन, समोसा-पकौड़े, अंडा, मछली, दूध	हाट-बाजार, सब्जी मंडी, सड़क किनारे रेहड़ी
कपड़ा	कम दामों में उपलब्ध रेडीमेड वस्त्र, साड़ी, अंडरगारमेंट्स, मौसमी वस्त्र	पीथमपुर, धार, मांडू
घरेलू उत्पाद/दैनिक उपयोग	झाड़ू, बर्तन, चप्पल-जूते, प्लास्टिक सामान, डिब्बे, डस्टबिन	स्थानीय कस्बाई बाजार
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान	चार्जर, हेडफोन, कवर, बल्ब, टॉर्च	धार शहर से सटे कस्बे, पीथमपुर, मांडू आदि
खिलौने व स्टेशनरी	बच्चों के खिलौने, पेन, कॉपी, स्टीकर	हाट मेलों, स्कूलों के पास
फूल/प्रसाद/ एंटीक वस्तुएं/ धार्मिक सामग्री	अगरबत्ती, माला, प्रसाद, पूजा सामान, एंटीक वस्तुएं	मंदिर परिसर, मांडू

इन श्रेणियों में युवा, महिलाएं एवं समस्त परिवार अलग-अलग तरह से जुड़े होते हैं. फूल, साक-भाजी और बर्तन जैसी वस्तुओं में महिलाएं अधिक शामिल हैं. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पथ विक्रेताओं में अधिकतर युवा थोडा-बहुत

पढ़े लिखे लोग शामिल है तथा खाने-पीने-नास्ते की रेहड़ी में लगभग पूरा परिवार लड़के-लड़किया और माता या पिता /भाई मिलकर चलाते हैं. धार जिले के फुटपाथ बाजारों में कई बार मौसम और त्यौहार के अनुसार स्थानीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति आधारित वस्त्र/घरेलु उपयोग की वस्तुएं अदि भी दिखाई देती हैं जिसे अधिकांशतः पर्यटक/बहार से आये लोगों द्वारा क्रय किया जाता है. यह भी उनकी आजीविका का प्रमुख हिस्सा है।

स्थायित्व एवं पूंजी आधारित स्थितियां भी महत्वपूर्ण है। जगह संबंधी तीन प्रमुख कटेगरी दिखाई पड़ती है एक वह जो प्रतिदिन नियत स्थान पर अपनी दुकान लगाते हैं, दुसरे साप्ताहिक हाट-बाजार जहाँ स्थान निश्चित नहीं होता और तीसरा घुमंतू स्थिति वाले पथ विक्रेता शामिल हैं. घुमंतू पथ विक्रेता प्रमुखतः पुरुष विक्रेताओं के प्रभाव वाला क्षेत्र है. विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति उनके आय-व्यय चक्र, बचत की संभावनाओं, ऋण के उपयोग और उपभोग स्तर से जुड़ी होती है। चूंकि वे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, अतः उनकी आय अस्थिर, असंगठित और असंरक्षित होती है। धार जिले जैसे अर्ध-शहरी, अनुसूचित क्षेत्र में स्थित फुटपाथ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह उनके जीवन स्तर, सामाजिक समावेशिता और आजीविका की दीर्घकालिक स्थिरता-अस्थिरता को परिलक्षित करता है।

प्राथमिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिति

धार जिले में 100 फुटपाथ विक्रेताओं पर आधारित सर्वेक्षण के अनुसार:

श्रेणी	प्रतिदिन औसत आय (₹)	मासिक औसत आय (₹)
खाद्य सामग्री	₹400-₹500	₹10000-₹15000
कपड़ा विक्रेता/रेडीमेड	₹500-₹600	₹12000-₹18000
घरेलू व दैनिक उपयोग संबंधी	₹300-₹400	₹7000-₹90000
इलेक्ट्रॉनिक/मोबाइल एसेसरीज	₹500-₹800	₹15000-₹24000

ISSN : 3108-0294

अधिकांश विक्रेताओं की मासिक औसत आय ₹9000 से ₹10000 के बीच पाई गई। यह आय की स्थिति उनकी आजीविका की स्थितियों के सन्दर्भ में आपूर्ति सम्बन्धों की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती. धार जिले के फुटपाथ आधारित अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति संघर्षशील है। यह वर्ग सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन से वंचित रहकर जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करता है। आर्थिक अनिश्चिता और पूंजी का अभाव आजीविका के समक्ष बड़ी चुनौती है. महिला विक्रेताओं के समक्ष घर और व्यवसाय के दोहरे दबाव के बीच संतुलन कठिन होता है। पुरुषों की तुलना में जोखिम सहने की क्षमता कम, सामाजिक समर्थन भी सीमित। शौचालय, छाया, सुरक्षा जैसी सुविधाओं के अभाव से उनकी कार्यक्षमता सीमित होती है। कुछ महिला विक्रेताओं ने बताया कि वे सुरक्षा के डर से संध्या के समय दुकान नहीं लगातीं। इन सन्दर्भों को नीतिगत सुधारों और जमीनी स्थितियों को देखते हुए सुधारने की आवश्यकता प्रतीत होती है. जिससे फुटपाथ बाजारों से जुड़े विशेषकर


महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों और जनजातीय पृष्ठभूमि के विक्रेताओं की आजीविका को इस माध्यम से और बेहतर तथा सुरक्षित बनाया जा सके. क्योंकि फुटपाथ बाजार महज़ एक 'स्थल आधारित व्यापार' नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक-आर्थिक तंत्र हैं. यदि इन्हें योजनाबद्ध, संरचित और समर्थित किया जाना अपरिहार्य है. जिससे यह मध्य प्रदेश सहित राष्ट्र की विकास धारा में अपना योगदान कर सकें।

तथ्यों का विश्लेषण

साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के फुटपाथ विक्रेताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उद्यम की प्रकृति आजीविका की स्थिति संभावनाएं एवं चुनौतियों तथा योजनाओं तक पहुँच की यथा स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

लैंगिक विवरण


लिंग	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
पुरुष	68	68%
महिला	32	32%
कुल	100	100%



उत्तर दाताओं में कुल 68 प्रतिशत पुरुष तथा 32 प्रतिशत महिलाएं शामिल है. यह स्पष्ट करता है कि फुटपाथ बाजारों में महिलाओं की तुलना पुरुषों की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक है.

आयु विवरण


आयु वर्ग (वर्ष)	उत्तरदाता	प्रतिशत
18-45	36	36%
45-60	40	40%
60+	24	24%
कुल	100	100%



अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं में सभी आयु वर्ग केलोग शामिल हैं। लेकिन अधिकांश 45-60 वर्ष के लोग हैं जो उम्र, अनुभव और सक्रियता के मामले में भी अपेक्षाकृत ठीक स्थिति में है।
शैक्षिक स्थिति


शिक्षा स्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत
निरक्षर (परन्तु हिसाब-किताब करने लायक)	25	25%
साक्षर (लिखने पढ़ने का ज्ञान)	32	32%
माध्यमिक	26	26%
उच्च माध्यमिक	11	11%
स्नातक और ऊपर	6	6%
कुल	100	100%

धार जिले के अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं या यु कर्हे कि फुटपाथ बाजारों से जुड़े लोगों की शैक्षिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है। चार्ट से स्पष्ट है कि स्नातक अथवा उससे ऊपर की शिक्षा वाले बहुत कम उत्तर दाता यह हैं।



प्रतिदिन औसत आय


आय वर्ग (रु)	उत्तरदाता	प्रतिशत
0-300	40	40%
301-500	35	35%
500 से अधिक	25	25%



40% विक्रेताओं की आय रु300 प्रतिदिन के करीब है। यह एक अत्यंत नाजुक आय स्तर है जिससे केवल दैनिक आवश्यकता ही पूरी हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य आदि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि इनके घरों के बड़े बच्चे भी या तो अपने माता-पिता के व्यवसाय में सहयोग करने लग जाते हैं अथवा खुद का नया कोई कार्य करने लगते हैं।

ऋण और कर्ज की स्थिति


ऋण स्रोत	उत्तरदाता (एकाधिक विकल्प संभव)	प्रतिशत
साहूकार/अनौपचारिक तरीका	40	40%
स्वयं सहायता समूह	22	22%
बैंक (PM SVANidhi/MUDRA)	18	18%
रिश्तेदार/सहयोगी	20	20%
कुल	100	100



यहाँ कर्ज की स्थिति भी स्पष्ट है. 40 प्रतिशत विक्रेता अनौपचारिक तरीकों से कर्ज/ऋण लेने को मजबूर दिखाई देते हैं। ऐसे कर्ज का व्याज भी मनमाने ढंग से लिया जाता है. काम आय और अधिक व्याज की स्थिति में इन फुटपाथ विक्रेताओं के समक्ष कई बार आजीविका का घोर संकट खड़ा हो जाता है.

लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की स्थिति


योजना का नाम	योजना के बारे में जानते हैं	प्रतिशत
PM SVANidhi	32	32%
NULM (शहरी आजीविका मिशन)	14	14%
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट (2014)	09	09%
आयुष्मान भारत / बीमा	35	35%
स्वयं सहायता समूह/महिला बचत गट	10	10%



लाभकारी योजनाओं में जागरूकता की कमी भी स्पष्ट है. थोड़ी-बहुत जो जागरूकता है भी उसका लाभ और भी कम ले पाने की स्थिति में यह फुटपाथ विक्रेता होते हैं. जमीनी हकीकत और क्रियान्वयन की चुनौतियों को दर्शाता है।

नगर निगम/नगर पंचायत/पुलिस/स्थानीय प्रभुत्व शाली हस्तक्षेप

हस्तक्षेप का प्रकार	उत्तरदाता	प्रतिशत
बार-बार स्थल खाली करवाना	42	42%
बिना नोटिस दुकान हटाना	25	25%
अवैध वसूली	28	28%
रशीद कटवाने के बावजूद कभी कभी उगाही	05	05%
कुल	100	100%



फुटपाथ विक्रेताओं को कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए शासन स्तर पर समुचित निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिससे फुटपाथ विक्रेता निर्बाध रूप से अपनी आजीविका का संचालन कर सकें।

समूह परिचर्चा के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण

अध्ययन हेतु कुल दो समूह परिचर्चाएं आयोजित की गयीं जिसमें से एक पीथमपुर परिक्षेत्र में तथा दूसरी मांडू पर्यटक परिक्षेत्र में. प्रत्येक समूह मिश्रित (स्त्री-पुरुष फुटपाथ विक्रेताओं) वाला था. तथा प्रत्येक में 08-10 की संख्या रही। जिसमें प्रत्येक आयु एवं आयु वर्ग के अनुसूचित जाती समुदाय के उत्तर शामिल हुए।

सभी शामिल उत्तरदाताओं ने संयुक्त रूप से इस बात को तो स्वीकार किया कि फुटपाथ बाजार उनकी आजीविका के साधनों का प्रमुख माध्यम हैं. हालाँकि फुटपाथ बाजार आधारित आजीविका/आय की स्थिति मौसम/त्यौहार/खेती-किसानी के समय में प्रभावित होती है. कुछ लोग ऐसे समय में शहर अथवा प्रदेश से बहार जाकर मजदूरी का भी कार्य करने लगते हैं. लेकिन महिला विक्रेताओं के लिए फुटपाथ बाजार में उपस्थिति घर की जिम्मेदारियों के साथ भी उपयुक्त हो पाती है. धार जिले के इन उत्तर दाताओं के पास ऋण की उपलब्धता बैंक के तुलना में प्रायः अनौपचारिक लेन-देन पर अधिक निर्भर रहती है. कुछ लोगों कहना है कि बैंक लोन लेने में हमारी कम जानकारी और कागजों और उनकी शर्तों को न पढ़ पाने के कारण उन्हें किसी एजेंट अथवा मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है. कर्ज का एक बड़ा हिस्सा उसे देना पड़ता है. ऐसे में बैंक और एजेंसियों को अधिक सुलभ तथा छोटे-छोटे इन व्यापारियों को इस स्तर पर जागरूक करने तथा कई बार आवश्यकता अनुसार कैम्प लगाकर उनकी कर्ज की जरूरतों की पूर्ति करने की आवश्यकता है जिससे वे ऐसे अनौपचारिक बिचौलियों से बच पायें. स्थानों के स्थायित्व, वेंडिंग जोन और उसके अलाटमेंट की सुगम व्यवस्था इन विक्रेताओं के लिए हितकर होगा, जिसकी कमी उनकी बातों से स्पष्ट दिखाई पड़ती है. जिसके चलते उनके ऊपर कई बार निगम

कर्मचारियों/पुलिस/स्थानीय प्रभुत्वशाली लोगों का हस्तक्षेप पड़ता है। यह हस्तक्षेप उनकी व्यापार की स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ता है। जबकि भारतीय खुदरा व्यापार, आर्थिक रूप से कमजोर व माध्यम वय के लोगों की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति फुटपाथ बाजारों से हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फुटपाथ बाजार क्रेता-विक्रेता दोनों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण उपक्रम साबित हो रहा है। एक रूप में देखें तो फुटपाथ विक्रेताओं का जीवन एक सतत संघर्ष और आशा की कहानी है। वे हर मौसम, प्रशासनिक दबाव और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद “सार्वजनिक सेवा प्रदाता” के रूप में खड़े हैं। उनके अनुभवों को नीति निर्धारण में शामिल करना न केवल न्यायसंगत होगा, बल्कि एक लोक-आधारित विकास मॉडल को भी मजबूत करेगा।

अंतर्दृष्टि

भारत के शहरों और कस्बों में फुटपाथ पर व्यापार करने वाले असंख्य लोगों की आजीविका लंबे समय तक कानूनी और नीतिगत रूप से असुरक्षित रही है। 1980-90 के दशक में, शहरीकरण और नगर नियोजन के सख्त मापदंडों के कारण, इन छोटे व्यापारियों को "अवैध कब्जाधारी" माना गया। उनके साथ अक्सर बदसलूकी, पक्षपात, पुलिसिया/निगम हस्तक्षेप और बेदखली होती रही।

इसी पृष्ठभूमि और संक्रमण कालीन स्थिति से उन्हें बाहर लेने के लिए राष्ट्रीय विक्रेता नीति (2009) और उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 को संसद द्वारा पारित किया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य फुटपाथ व्यापारियों को वैध पहचान देना, उनकी आजीविका को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना तथा शहरों में नियोजित और संतुलित वेंडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्हें ऋण और सहायता योजनाओं से जोड़ना भी शामिल है। हालाँकि इसके क्रियान्वयन की जमीनी चुनौतियाँ अध्ययन के दौरान स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यदि भारत की साप्ताहिक और पथ विक्रेताओं की लम्बी यात्रा का अध्ययन करे तो मौजूदा समय नीतिगत स्तर पर निश्चित तौर पर एक अच्छा समय है। परन्तु इसमें कई सुधार और नीतिगत निर्णय अभी लिए जाने अपेक्षित हैं। खासतौर से धार जैसे अन्य पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों, जो अधिसंख्य अनुसूचित जनजाति समूहों वाले हैं। वहां की स्थितियां, रोजगार के लिए जरूरी परिवेश तथा फुटपाथ विक्रेताओं की सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक स्थिति भिन्न है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी अथवा सुझाव इस अध्ययन से निकलकर सामने आया है। फुटपाथ विक्रेता "आजीविका के कर्मशील योद्धा" हैं, जो सीमित संसाधनों में अधिकतम जीविका अर्जित करने का प्रयास करते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. Ghosh, A. (2014). *Street Vending in Ten Cities in India*. National Association of Street Vendors of India.

2. National Association of Street Vendors of India. (2018). *Status Report on Street Vendors in India*.
3. Bhatt, M. (2019). Urban informality and livelihoods. *Journal of Urban Planning*, 3(1), 44-58.
4. De Soto, H. (1989). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. Harper & Row.
5. Sharma, P. (2021). *Shahar Ke Kinare: Informal Economy aur Shehri Vikas*. Rajkamal Prakashan.
6. गुप्ता, डी. (2018). बाज़ार के लोग: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. हिंदी बुक सेंटर।
7. मेहता, आर. (2015). नगर विकास और असंगठित कर्म. हिंदी साहित्य मंडल।
8. कपूर, आर. (2019). फुटपाथ बाज़ार: समाज, अर्थव्यवस्था और नीति. ग्रंथ शिल्पी।
9. सिंह, एन. (2021). असंगठित क्षेत्र: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. यात्रा बुक्स।
10. जोशी, व. (2021). फुटपाथ व्यापार: एक आर्थिक अनुशीलन. हिंदी ज्ञानपीठ।
11. चाँद, एम. (2016). शहरी अनौपचारिकता और स्थानिक न्याय. लोकनीति समीक्षा।
12. अग्रवाल, एस. (2022). संविधान और असंगठित कर्म. लोकमत विमर्श।

